

# केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास फेंके आईडी कार्ड

भाजपा नेता विवेक चतुर्वेदी ने लगाया छवि धूमिल का आरोप  
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ  
समूचा घटनाक्रम



नवभारत न्यूज टीकमगढ़। शहर के सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के शासकीय बंगले के पास से मंगलवार की रात्रि 43 वोटर आईडी कार्ड बरामद होने का मामला सामने आया है। यह मामला सामने आते ही समूचे जिले में तरह-तरह की चर्चाओं को बल मिल रहा है। इस घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह रही है कि कई वोटर आईडी कार्ड जली हालत में मिले। आशंका जताई जा रही है कि इन्हें जलाने की कोशिश की गई है। सूत्रों की माने तो ही ना कही जिस व्यक्ति ने इस मामले को अंजाम दिया है उसके पीछे का कारण केंद्रीय मंत्री की छवि को धूमिल करने से जुड़ा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और पटवारी

समेत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने इन कार्ड्स को जब्त कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने वोटर आईडी कार्ड्स के दुरुपयोग की आशंका जताई है। कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि मंगलवार रात वह केंद्रीय मंत्री के

बंगले पर पहुंचे। तब उन्हें बंगले के ठीक बगल में सड़क पर वोटर कार्ड आईडी पड़े दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री के बंगले के ठीक बगल में सरकारी क्वार्टर बने हैं। बगल वाला सरकारी क्वार्टर में संतोष अंबेडकर नाम का कर्मचारी रहता है जो सीएमएचओ दफ्तर में बाबू है। उसी के घर से महिला ने यह

वोटर आईडी सड़क पर फेंके हैं। घटना की सूचना तुरंत

### कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि आज मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्टर के नाम पत्र सौंपा जाएगा। जानबूझकर केंद्रीय मंत्री को बदनाम करने के लिए उनके बंगले के बगल में यह कार्ड फेंके गए हैं। तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि रात में ही निर्वाचन शाखा के अधिकारियों को वोटर आईडी वैरिफाई करने के लिए दे दिए गए हैं। सड़क पर मिले वोटर आईडी कार्ड टीकमगढ़ जिले के ही लोगों के हैं। सड़क पर कार्ड किसने फेंके यह पुलिस जांच का विषय है।

तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर को दी थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी बंगले के सामने सड़क के दूसरी साइड दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसमें सड़क के दूसरी साइड जहां बंगले पर हरी नेट लगी दिखाई दे रही है वहां सरकारी क्वार्टर से एक महिला बाहर निकाल कर सड़क पर डस्टबिन से कार्ड फेंकते हुए नजर आ रही है। सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने तहसीलदार को सूचना दी। चतुर्वेदी ने प्रशासन से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन वोटर आईडी के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में दिए गए लाभों की जांच होनी चाहिए।

## उत्कृष्ट कार्य के लिए कलेक्टर सम्मानित



नवभारत न्यूज टीकमगढ़। भोपाल के कृषाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के कलेक्टरों को सम्मानित किया गया। जिसमें टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय का नाम भी शामिल है। कार्यक्रम में जिले के वर्तमान कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय और पूर्व कलेक्टर अवधेश शर्मा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। यह सम्मान नीति आयोग के आकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम के तहत सभी 6 संकेतकों में संतुष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया इसमें अलावा बड़वानी से कलेक्टर गुंजा सरोवर और पूर्व कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग को सम्मानित किया गया। दमोह से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, धार से कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को गोल्ड मेडल मिला। खंडवा से कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पूर्व कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को सम्मानित किया गया निवाड़ी से वर्तमान कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ और पूर्व कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को गोल्ड मेडल मिला। विदिशा से कलेक्टर अंशुल गुप्ता और पूर्व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को भी सम्मानित किया गया। जिसमें टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय का नाम भी शामिल है।

## वाहन ने पहुंचाई लोहे के गेट को क्षति



नवभारत न्यूज टीकमगढ़। महेन्द्र सागर तालाब की बंधन पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए लगाए गए लोहे के गेट बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। मंगलवार रात एक अज्ञात वाहन ने गेट में टक्कर मार दी। गेट नीचे झुक गया है। इससे लोगों को

## 13 को लगेगी लोक अदालत

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीआर भवन, जिला न्यायालय के सभाकक्ष में विभिन्न बैंक प्रबंधकों एवं नगर पालिका के अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुनीता गोयल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा बैंक प्रबंधकों से

## उन्मूलन कार्यक्रम में श्रमिकों ने लिया भाग

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा 16-22 अगस्त तक गाजरघास जागरूकता सप्ताह रूप में गाजरघास उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस उन्मूलन कार्यक्रम में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आरके जाटव, डॉ. आईडी सिंह, हंसनाथ खान, जयपाल छिग्राहवा एवं सुदीप रावत साथ ही कृषि महाविद्यालय के छात्र, छात्रायाँ व श्रमिकों ने गाजरघास उन्मूलन कार्यक्रम में भाग लिया। जागरूकता अभियान के अंतर्गत सभी ने कार्यालय परिसर में गाजरघास



निकालकर गाजरघास मुक्त परिसर बनाने का संकल्प लिया। गाजरघास उन्मूलन पर संगोष्ठी में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. बीएस किरार द्वारा गाजरघास से मनुष्य, पशु एवं फसलों, सब्जियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया गया। मनुष्य के लगातार गाजरघास के सम्पर्क में आने से बहुत सी बीमारियाँ जैसे डरमेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, दमा, बुखार, आदि हो जाती हैं और पशुओं द्वारा गाजरघास चरने से दूध में कड़वाहट आ जाती है।

## अंतिम सूची एमपी ऑनलाइन पर देखें

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार विकासखंड स्तरीय चयन समिति टीकमगढ़ की बैठक उपरांत बाल विकास परियोजना टीकमगढ़ ग्रामीण अंतर्गत रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका के पदों की अंतिम सूची जारी की गई है। अंतिम सूची एम पी ऑन लाईन के चयन पोर्टल के माध्यम से देखी व प्राप्त की जा सकती है। अंतिम चयन के विरुद्ध किसी आवेदन को आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी दावा आपत्ति चयन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करा सकता है दावा आपत्ति केवल संबंधित आवेदिकाओं के द्वारा चयन पोर्टल पर प्राप्त होने पर ही निराकरण जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण समिति करेगी।

## दिनभर रुक-रुक कर होती रही बारिश



नवभारत न्यूज टीकमगढ़। इस वर्ष जिले में बारिश ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में अब तक 45.9 इंच औसत बारिश हो चुकी है। यह पिछले साल की तुलना में 18.1 इंच अधिक है। पिछले साल इसी समय तक 27.8 इंच बारिश हुई थी। वर्तमान में पिछले 48 घंटों से बारिश रुकी हुई है लेकिन आज सुबह से ही देर शाम तक बादल छाए रहे और दोपहर से रुक-रुक कर बूँदाबूँदा होती रही। जिले में सामान्य औसत बारिश 40 इंच है। इस साल यह आंकड़ा 5.9 इंच अधिक दर्ज किया गया है। भू अभिलेख कार्यालय के अनुसार पलेरा तहसील में सर्वाधिक 63.5 इंच बारिश हुई है। टीकमगढ़ तहसील में 57.6 इंच और मोहनगढ़ में 52.92 इंच वर्षा दर्ज की गई है। खरगापुर में 44.3 इंच, बल्देवगढ़ में 44 इंच, जतारा में 40 इंच, लिधौरा में 39 इंच और बड़ागांव

## जिम्मेदार नहीं ले रहे आवारा गौवंश की सुध

तमाम शिकायतों के बाद भी नहीं सुधर रही व्यवस्था  
काले रंग के सांड बन रहे हादसों का कारण

नवभारत न्यूज पलेरा। नगर क्षेत्र की सड़कों पर लावारिस गायों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी कोई सड़क नहीं जहां लावारिस गाय सड़क पर दिखाई न देती हो। अंधेरा होते ही लावारिस गायों का झुंड सड़कों पर आ जाता है। ज्यादातर काले रंग के सांड हादसे का कारण बन रहे हैं।

कहाँ गौशालाओं पर चौकीदार न होने से ताले लटके हैं तो कहीं बजट न होने से भूसा-चारा खरीदने के पैसे नहीं हैं। हालत यह है कि सबकुछ कागजों पर चल रहा है। गौशालाओं में गौवंश को भले न रखा जा रहा हो लेकिन बजट बराबर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही शासकीय गोचर भूमि पर लगातार दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जिसका नतीजा है कि गौवंश चिलचिलाती धूप में भी कभी पेड़ की छांव में आसरा पा रहा है तो कहीं सड़कों पर भूखी प्यासी आवारा भटकने को मजबूर हैं। नगर क्षेत्र की सड़कों पर लावारिस गायों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी कोई सड़क नहीं जहां लावारिस गाय सड़क पर दिखाई न देती हो। अंधेरा होते ही लावारिस गायों का झुंड सड़कों पर आ जाता है। ज्यादातर काले रंग के सांड हादसे का कारण बन रहे हैं।

हजारों गौवंश सड़कों पर भटक रहे हैं। इन्हें खाने को चारा तो दूर पीने को पानी तक नसीब नहीं होता। भूख प्यास सहन नहीं होती तो गौवंश कूड़े ढेर से कूड़ा व पॉलीथिन खाकर पेट की आग शांत करता है। यहीं पॉलीथिन आतंड़ियों

में फंसकर गौवंश को तड़प-तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर देता है। पलेरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बराना में गौशाला खाली पड़ी हुई है लेकिन जिन गौशालाओं को चालू बताया जा रहा है वे सिर्फ कागजों में ही

## कार्यवाही कृषि विकास अधिकारी के निर्देशन में पलेरा पुलिस ने की कार्यवाही

# खाद की कालाबाजारी करने पर एफआईआर दर्ज

नवभारत न्यूज पलेरा। मानसून आते ही किसानों को रोपाई करने से पहले खेत की मिट्टी तैयार करने के साथ ही फसल के अच्छे विकास-वृद्धि के लिए भी ध्यान देना होता है। इन सबके लिए खाद की बहुत जरूरत पड़ती है। किसानों को खाद की किल्लत न हो और खाद विक्रेताओं की ओर से खाद की डीपिंग न होने पाए इसलिए कृषि अधिकारी एकशन मोड में नजर आ रहे हैं। किसानों को दी जाने वाली खाद की उपलब्धता के दावों और हकीकत में कितना अंतर है। इसका उदाहरण पलेरा नगर में सामने आया है। जहाँ किसान परेशान हैं लेकिन व्यापारी कालाबाजारी के लिए स्टॉक को जमा कर रहा है ऐसे में पलेरा कृषि विकास अधिकारी रामाकांत लोधी ने



प्रदर्शित नहीं पाई गई। इसके अलावा कृषकों को केश मेमो जारी नहीं किए गए जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35.5 एवं 4 का उल्लंघन है। जिसके आधार पर उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास जिला टीकमगढ़ के 14 अगस्त द्वारा खाद बिक्री अनुज्ञति निलंबित की गई। जिससे स्पष्ट होता है कि आशीष ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी पलेरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

कालाबाजारी की शिकायतों का शिकंजा

आशीष ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी पलेरा के द्वारा कल 25.2.00 मेट्रिक टन यूरिया खाद की 560 बोरी स्कंद पंजी में प्राप्त हुआ है। 560 बोरी में से 333 बोरी संदिग्ध विवरण मानकर जांच हेतु आदेश प्राप्त हुआ जिसमें से 43 बोरी अवैध रूप से विक्रय करते हुए कालाबाजारी की गई। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है। जिसके चलते आशीष ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी पलेरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

प्रदर्शित नहीं पाई गई। इसके अलावा कृषकों को केश मेमो जारी नहीं किए गए जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35.5 एवं 4 का उल्लंघन है। जिसके आधार पर उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास जिला टीकमगढ़ के 14 अगस्त द्वारा खाद बिक्री अनुज्ञति निलंबित की गई। जिससे स्पष्ट होता है कि आशीष ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी पलेरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

आशीष ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर मथुरा प्रसाद गुप्ता निवासी पलेरा के द्वारा कल 25.2.00 मेट्रिक टन यूरिया खाद की 560 बोरी स्कंद पंजी में प्राप्त हुआ है। 560 बोरी में से 333 बोरी संदिग्ध विवरण मानकर जांच हेतु आदेश प्राप्त हुआ जिसमें से 43 बोरी अवैध रूप से विक्रय करते हुए कालाबाजारी की गई। इस मामले में प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज करा दिया गया है।

## सुरक्षा सुपरवाइजरी के लिए लगा शिविर

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। भारत सरकार के पसारा अधिनियम के अंतर्गत टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में सिक्वोरिटी एण्ड इन्टेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजरी की भर्ती हेतु शिविरों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें बुधवार को निवाड़ी के शासकीय अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद परिसर में शिविर लगाया गया।

सफल 19 से 40वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी को मैट्रिक का मार्कशीट आधार कार्ड साथ लाना जरूरी होगा। चयन में शैक्षणिक योग्यता 10 वीं पास के साथ ही ऊंचाई कम से कम 167.5 सेंटीमीटर 56 से 90 के बीच वजन होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थी को, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के उपरांत दिए गए दिनांक पर प्रशिक्षण हेतु एसआईएस रीजनल ट्रेनिंग सेंटर सिंगरौली में पहुंचना होगा। प्रशिक्षण के उपरांत सभी को कंपनी के आवश्यकता के अनुसार ऑल इंडिया पोस्टिंग किया जायेगा। पोस्टिंग देश में ज्यादातर भारत सरकार और राज्य सरकार के उपक्रमों को सुरक्षा में किया जायेगा। भारत सरकार के पसारा अधिनियम के अंतर्गत एन निवाड़ी जिले में सिक्वोरिटी एण्ड इन्टेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजरी को भर्ती हेतु शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती बती कुशवाहा, पति व. ग. कुशवाहा। आयु 56 साल निवासी मप्र एएच व. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प. की होकर शाश्वतक निम्नलिखित कथन करती है। यह कि मेरा आधार कार्ड नं. 559593085772 है और मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बती कुशवाहा दर्ज है। मेरे नाम से पोस्ट ऑफिस खरगापुर में खाता खुला हुआ है। मेरा खाता नं. 010056745628 है। इसमें भी बती कुशवाहा नाम दर्ज है। मेरे नाम से पेन कार्ड बना हुआ है। जिसका क्रमांक क्यू.जे.डी.पी.के. 46509वू है। जिसमें भी मेरा नाम बती कुशवाहा दर्ज है। यह कि शाश्वतक के पति ग. कुशवाहा के नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम में पालसी खुली थी और मेरे पति ग. कुशवाहा की 20 जुलाई 2025 को मृत्यु हो गई है। और मैं उनकी माता एक विवाह एवं विवाहिका पति थी। और पति की पालसी में मेरा नोमीनल नाम दर्ज है। जिसमें मेरा लिफिकिय तुटी से भागवती कुशवाहा नाम दर्ज हो गया है जो कि मृत है। जबकि मेरा सही नाम बती कुशवाहा है और दोनों नाम की एक ही महिला है। यह कि शाश्वतक बती कुशवाहा एवं भागवती कुशवाहा दोनों नाम की एक ही महिला है और ग. कुशवाहा की निज पति है जिस संबंध में यह गाय पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ।

सूचनाकर्ता श्रीमती बती कुशवाहा, पति व. ग. कुशवाहा। ग्राम पलेरा, तहसील बल्देवगढ़ जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)